रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2012/आश्विन 13, 1934
No. 227] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2012/ASVINA 13, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2012

विषय : सरकारी अधिप्राप्ति में और सुरक्षा संबंधी विचारों के कारण अधिप्राप्ति में घरेलू निर्मित दूरसंचार उत्पादों को प्राथमिकता देने संबंधी नीति—इस नीति के अनुपालन में सरकारी अधिप्राप्ति हेतु दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित करना ।

सं. 18-07/2010-आईपी.— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने उन इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता बन सकते हैं, और/या जिन्हें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें कोई वाणिज्यिक पुनर्बिक्री शामिल नहीं है, सरकार के स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाना है, की अधिप्राप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में, घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए दिनांक 10.02.2012 को एक अधिसूचना संख्या: 8(78)/2010-आईपीएचडब्ल्यू जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में अधिप्राप्त किए गए दूरसंचार उत्पादों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2. ऊपर उल्लिखित संदर्भ की मार्फत अधिसूचित नीति के अनुपालन में दूरसंचार विभाग ने, तदनुसार, स्वयं अपने उपयोग के लिए और वाणिज्यिक पुनर्बिक्री न करने के विचार से अथवा वाणिज्यिक बिक्री हेतु वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग के मद्देनज़र, सरकारी अधिप्राप्ति में घरेलू निर्मित दूरसंचार उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए निम्नलिखित नीति निर्धारित की है और यह नीति भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी तथा उसके बाद दस वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

3. यहाँ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित न्यूनतम मूल्यवर्धन को पूरा करते हुए अपनी दूरसंचार उत्पाद अपेक्षा के न्यूनतम प्रतिशत भाग की अधिप्राप्ति करेगा। सरकार के मंत्रालयों या विभागों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में एजेंसियों तथा सभी सरकारी वित्तपोषित दूरसंचार परियोजनाओं (जैसे एनएफएस और यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं यथा एनओएफएन आदि) के लिए प्राथमिकता बाजार अभिगम और घरेलू निर्मित उत्पाद के रूप में पात्रता दृष्टिकोण को इंगित करते हुए, वर्षवार, दूरसंचार उत्पादों की सूची तालिका क में दी गई है।

4. प्रत्येक वर्ष के सामने इंगित प्राथमिकता बाजार अभिगम (पीएमए) और मूल्यवर्धन (वीए) न्यूनतम हैं और घरेलू निर्माताओं द्वारा उच्चतर मूल्य वर्धन प्राप्त करने के उपाय किए जाने चाहिएं। दूरसंचार उत्पादों हेतु मूल्यवर्धन की गणना के सूत्र को भी इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाना चाहिए। उन सभी दूरसंचार उत्पादों, जो उस वर्ष के न्यूनतम मूल्यवर्धन मानकों को पूरा नहीं करते, को आयात किए गए दूरसंचार उत्पाद के रूप में समझा जाना चाहिए और उनके बारे में तदनुसार निर्णय किया जाना चाहिए।

5. घरेलू उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक उत्पाद हेतु मूल्यवर्धन तथा उत्पादों की सूची की समीक्षा की जाएगी और आवधिक रूप से उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

तालिका-क

क्रम सं0	दूरसंचार उपस्कर का विवरण	वर्ष 2012-13 और 2013-14		नए उद्योग परिणामों/विकासों पर आधारित आवधिक समीक्षा के अध्यधीन							
				वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		पीएमए	वीए	पीएमए	वीए	पीएमए	वीए	पीएमए	वीए	पीएमए	वीए
1	एनक्रिप्शन/यूटीएम प्लेटफार्म (टीडीएम और आईपी)	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
2	कोर/ऐज/एंटरप्राइज रूटर्स	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
3	मैनेज्ड् लीज्ड् लाईन नेटवर्क उपस्कर	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
4	इथरनेट स्विचिज़ (एल2 और एल 3) हब्स आदि	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
5	आईपी आधारित सॉफ्ट स्विचिज, मीडिया गेटवे	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
6	वायरलैस/वायरलाइन पीएबीएक्स	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
7	सीपीई(वाई फाई अभिगम बिन्दुओं और रूटर्स, मीडिया कन्वर्टर सहित) 2जी/3जी मोडम, लीज्ड-लाईन मोडम, आदि	75	25	100	30	100	35	100	40	100	45
8	सेट-टॉप बाक्स	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
9	एसडीएच/कैरियर-इथरनेट / पैकेट आप्टीकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
10	डीडब्ल्यूडीएम/सीडब्ल्यूडीएम प्रणालियां	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
11	जीपीओएन उपस्कर	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
12	डिजिटल क्रास-कनेक्टस/एमयूएक्स	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
13	छोटे आकार की 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
14	एलटीई आधारित ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस प्रणालियां (ई नोड बी ईपीसी, आदि)	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
15	वाई-फाई आधारित ब्रॉडबैंड, वायरलैस अभिगम प्रणालियां (अभिगम बिन्दु, एग्रीगेशन ब्लाक, कोर ब्लाक आदि)	100	35	100	40	100	45	100	50	100	55
16	माइक्रोवेव रेडियो प्रणालियां (आईपी/हाईब्रिड)	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
17	साफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो, कागिनिटिव रेडियो प्रणालियां	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
18	रिपीटर्स (आरएफ/आरएफ-ओवर-आप्टिकल) आईबीएस और संवितरित एंटेना प्रणाली	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
19	उपग्रह आधारित प्रणालियां-हब्स, वीसेट आदि	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
20	कॉपर अभिगम प्रणालियां (डीएसएल/डीएसएलएम)	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55

21	नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
22	सुरक्षा एवं निगरानी संचार प्रणालियां (विडियो एवं सेंसर आधारित)	100	35	100	40	100	45	100	50	100	55
23	आप्टिकल फाइबर केबल	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65

पीएमए = निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों के लिए न्यूनतम अधिमानित बाजार अभिगम।

वीए= निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्द्धन ।

6. दूरसंचार का क्षेत्र तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानोन्मुख वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक और सामाजिक विकास के एक मुख्य संचालक के रूप में उभरा है जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य देश में वर्ष 2017 तक 175 मिलियन और वर्ष 2020 तक 600 मिलियन तक ब्रॉडबैंड कवरेज बढ़ाने का है । वर्ष 2020. तक 500 मेगाहर्ट्ज के लगभग अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2017 तक 1200 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूरसंचार उपस्कर के लिए विनिर्माण नीति के संबंध में ट्राई की रिपोर्ट के आधार पर भारत और विदेश में विभिन्न दूरसंचार उपस्करों की मांग का आकलन निम्नलिखित तालिका-ख में दिया गया है:-

तालिका-ख

क्रम सं0	वर्ष	कुल वैश्विक मांग (मिलियन रू0 में)	भारतीय मांग (मिलियन रू0 में)	वैश्विक मांग का प्रतिशत
1.	2012-13	16382550	769400	6.2%
2.	2014-15	19108610	965140	6.6%
3.	2016-17	22288280	1210670	7.1%
4.	2019-20	28076820	1700910	7.9%

भारत में दूरसंचार उपस्कर की बढ़ती मांग का आकलन और ब्योरा निम्नलिखित तालिका-ग में दिया गया है :-

तालिका-ग

वायरलैस उपस्कर की मांग (मिलियन रू0)		2015-16	2019-20
	वायरलैस उपस्कर	264440	444380
i)	2जी वायरलैस	25320	-
	बीटीएस एंटिना	10130	-
	बीएससी	9110	-
	एमएससी/जीएमएससी/एचएलआर/वीएलआर/ईआईआर	6080	-
ii)	3जी वायरलैस	101280	26450
	नोड बी	40510	10580
	आरएनसी	36460	9520
	जीजीएसएन/एसजीएसएन		6350
iii)	एलटीई/मोबाइल वाई-मैक्स/5जी		238100
	इ नोड बी	75960	142860
	एमएमई/एसजीडब्ल्यू /पीडीजी/एसएई	50640	95240
	एफएपी	11250	27990
iv)	मोबाइल हैंड सेट	384020	613100
	जोड़	**648460**	**1057380**

वायरलाइन उपस्कर		**2015-16**	**2019-20**
i)	स्विच		
	लोकल	1640	1480
	ट्रांजिट	1840	1660
ii)	एसटीपी	990	900
iii)	आईएन प्लेटफार्म	500	450
	कुल	**4960**	**4480**

आईपी एंड पैकेट स्विचिंग		**2015-16**	**2019-20**
i)	स्विचिंग		
	एलएएन स्विच	107520	130690
	ईथरनेट/आईपी एग्रिगेशन	8060	12680
	कैरियर ईथरनेट (उपर्युक्त सहित)	2020	9510
ii)	रूटिंग		
	एज़ आईपी/एमपीएलएस रुटिंग	19350	30440
	कोर आईपी/एमपीएलएस रुटिंग	4840	7610
iii)	पैकेट वॉयस	7130	20890
	सॉफ्ट स्विच	2850	8360
	एसजीडब्ल्यू/एमजीडब्ल्यू	2140	6270
	सेशन बॉर्डर कंट्रोलर	1070	3130
	मीडिया/वॉयस एप्प सर्वर्स	1070	3130
	कुल	**146890**	**201310**

ब्रॉडबैंड उपस्कर		**2015-16**	**2019-20**
i)	एफटीटीएक्स	38810	208700
	ओएनटी/ओएनयू	15520	83480
	ओएलटी	23280	125220
ii)	डीएलएस ब्रॉडबैंड	31040	29810
	डीएसएल मॉडम	15520	14910
	डीएसएलएएम	10870	7450
	एमएसएएन	4660	7450
iii)	सीएमटीएस	7760	59630
	कुल	**77610**	**298150**

बैकहॉल और ट्रांसमिशन		2015-16	2019-20
1.	फाइबर/ऑप्टिकल		
	ऑप्टिकल	58110	79220
	एसडीएच	31880	35880
	डीडब्ल्यूडीएम	19730	34880
	पीओटीपी (एसडीएच, डीडब्ल्यूडीएम/डीएक्ससी के भीतर सहित)	27460	66770
	डीएक्ससी	3300	3430
	सबमेरिन सिस्टम्स	3200	5030
2.	माइक्रोवेव बैकहॉल	27240	39890
	पीडीएच/एसडीएच/माइक्रोवेव	1360	800
	ईथरनेट माइक्रोवेव	25880	39090
	कुल	**78380**	**109600**

7. प्रापण एजेंसियां इस नीति के अनुसार घरेलू स्तर पर विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों से किए जा रहे प्रापण की विशिष्ट प्रतिशतता से संबंधित अपेक्षा को पूरा करने के अध्यधीन, निर्धारित मानक प्रापण पद्धतियों का अनुपालन करेंगी।

(i) वार्षिक अपेक्षाओं के समूहन और ऐसी अन्य प्रापण प्रक्रियाओं को, जो इस नीति के क्रियान्वयन को सरल बनाती हैं, प्रापण एजेंसियों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(ii) सरकारी मंत्रालयों/विभागों या एजेंसियों द्वारा अपने प्राशासनिक नियंत्रण के तहत और सरकारी दूरसंचार परियोजनाओं में दूरसंचार उत्पादों के प्रापण के संबंध में पाबंद रहना।

(iii) जहां कहीं सरकारी मंत्रालय/विभाग या इनकी किसी एजेंसी द्वारा इस नीति के तहत घरेलू रूप से विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों का प्रापण किया जाता है या दूरसंचार उत्पादों के लिए, इस तरह का प्रापण एल1 कीमत के अनुरूप होने के अध्यधीन और निविदा की तकनीकी विशिष्टताओं को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए।

(iv) यदि घरेलू विनिर्माता की कीमत न्यूनतम (एल 1) नहीं है, तो निविदा का विशिष्ट भाग तकनीकी रूप से न्यूनतम अर्हता प्राप्त घरेलू विनिर्माता को दिया जाएगा, बशर्ते कि यह ऐसे न्यूनतम बोलीदाता के उपलब्ध होने की स्थिति में एल1 कीमत के अनुरूप हो। शेष भाग एल1 बोलीदाता को दिया जाएगा।

(v) यह आवश्यक नहीं है कि दूरसंचार उत्पाद के प्रापण हेतु प्रत्येक निविदा घरेलू और गैर-घरेलू विनिर्माता में बंटी हो। यदि प्रापण की इकाई के छोटा होने के कारण या तकनीकी कारणों से या उत्पाद के लिए घरेलू विनिर्माता के उपलब्ध न होने के कारण निविदा को बांटा नहीं जा सकता तो प्रापण एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि दूरसंचार उत्पादों की विशिष्ट सीमा के प्रापण की वार्षिक अपेक्षा को अन्य निविदाओं में पर्याप्त संवर्द्धन के माध्यम से घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों से हासिल किया जाए है।

(vi) निविदा की शर्तें यह सुनिश्चित करेंगी कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है और ये प्रतिबंधात्मक उत्पाद विशिष्टताओं की पूर्व अनुभव की आज्ञापक अपेक्षा के अध्यधीन नहीं होते हैं। प्रापण एजेंसी किसी बोलीदाता द्वारा लगाए गए वर्चस्व पूर्ण मूल्यों की तर्कसंगत पहचान और इनका मूल्यांकन करेगी। तथापि, प्रापण विभाग अथवा एजेंसी ऐसे अनुबंधों को शामिल कर सकता है जो सुरक्षा, उत्पादन क्षमता और विनिर्माता की उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर उन्हें संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

3797 GI/12-2

8. यह प्रश्न उठने की स्थिति में कि क्या प्रापण की जा रही कोई मद/वस्तु नीति के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए दूरसंचार उत्पाद है या नहीं, यह मामला स्पष्टीकरण के लिए दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग को भेज दिया जाएगा।

9. इस प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यथा अधिसूचित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। दूरसंचार उत्पादों के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने पर मामला दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग को अथवा इस प्रयोजनार्थ दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, दूरसंचार विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत तकनीकी परीक्षक को भेजा जाएगा ।

10. इस अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों अथवा संक्षिप्तियों को आसानी से समझने के लिए उन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है।

अधिसूचना में प्रयुक्त परिवर्णी शब्दों की सूची

क्र0सं0	परिवर्णी शब्द (एकरोनिम)	विस्तार
1.	2जी	सेकेन्ड जेनरेशन
2.	3जी	थर्ड जेनरेशन
3.	4जी	फोर्थ जेनरेशन
4.	5जी	फिफ्थ जेनरेशन
5.	एडीएसएल	एसिमेट्रिकल डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन
6.	एटीएमपी	एसेम्बली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग
7.	बीओएम	बिल ऑफ मेटीरियल
8.	बीएससी	बेस स्टेशन कन्ट्रोलर
9.	बीएसएस	बेस स्टेशन सब सिस्टम
10.	बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
11.	बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस
12.	सीडीएमए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
13.	सीएन	कोर नेटवर्क
14.	सीपीई	कस्टमर प्रिमिसेस इक्विपमेंट
15.	सीडब्ल्यूडीएम	कोर्स वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीपलेक्सिंग
16.	डीएएस	डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम
17.	डीईआईटीवाई	इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
18.	डीएसएल	डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन
19.	डीएसएलएएम	डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीपलेक्सर
20.	डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेव डिवीजन मल्टीपलेक्सिंग
21.	डीएक्ससी	डिजीटल क्रास कनेक्ट
22.	ईआईआर	इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर
23.	ईएमएस	इलैक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज़
24.	ईपीएबीएक्स	इलैक्ट्रानिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज
25.	एफटीटीएच	फाइबर टू दि होम
26.	जीजीएसएन	गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड
27.	जीएमएससी	गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेन्टर
28.	जीपीओएन	गीगाबिट पेसिव ऑप्टिकल नेटवर्क
29.	जीपीआरएस	जनरल पैकेट रेडियो सर्विस
30.	जीएसएम	ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल

31.	एचएलआर	होम लोकेशन रजिस्टर
32.	एचएसपीए	हार्ड स्पीड पैकेट ऐक्सेस
33.	आईएमएस	आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम
34.	आईपी	इंटरनेट प्रोटोकॉल
35.	एलएएन	लोकल एरिया नेटवर्क
36.	एलटीई	लांग टर्म इवोल्यूशन
37.	एमजीडब्ल्यू	मीडिया गेटवे
38.	एम0एम0ई	मोबिलिटी मेनेजमेंट एन्टिटी
39.	एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
40.	एमपीएलएस-टीपी	एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल
41.	एमएसएएन	मल्टी सर्विस एक्सेस नोड
42.	एमएससी	मोबाइल स्विचिंग सेन्टर
43.	एमयूएक्स	मल्टीपलेक्सर
44.	एनजीएन	नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क
45.	एनजी-पीओएन	नेक्स्ट जेनरेशन पेसिव आप्टिकल नेटवर्क
46.	एनएफएस	नेटवर्क फॉर स्पैक्ट्रम
47.	एनओएफएन	नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क
48.	ओएएन	आप्टिकल एक्सेस नेटवर्क
49.	ओडीएफ	आप्टिकल फाइबर डिस्ट्रिब्यूशन फ्रेम
50.	ओएफसी	आप्टिकल फाइबर केबल
51.	ओएलटी	आप्टिकल लाइन टर्मिनल
52.	ओएनटी	आप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन
53.	ओएनयू	आप्टिकल नेटवर्क यूनिट
54.	ओटीएन	आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
55.	पीएबीएक्स	प्राइवेट आटो ब्रांच एक्सचेंज
56.	पीडीएच	प्लेसियोक्रोनस डिजिटल एयरआर्कि
57.	पीओएन	पैसिव आप्टिकल नेटवर्क
58.	पीओटीपी	पैकिट आप्टिकल ट्रांसमिशन प्लेटफार्म
59.	आरएएन	रेडियो एक्सेस नेटवर्क
60.	आरएलसी	रेडिया लिंक कंट्रोल
61.	आरएनसी	रेडिया नेटवर्क कंट्रोलर
62.	आरओएडीएम	रिकनफिगुरेबल आप्टिकल एड ड्राप मल्टीप्लेक्सर
63.	एसडीएच	सिनक्रोनस डिजिटल एअरआर्कि
64.	एसओएनईटी	सिनक्रोनस आप्टिकल नेटवर्किंग
65.	एसटीएम	सिनक्रोनस ट्रांसपोर्ट माड्यूल्स
66.	एसटीपी	सिग्नल ट्रांसफर प्वाइंट
67.	टीडीएम	टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग
68.	यूएसओएफ	यूनिवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड
69.	वीडीएसएल	वेरी हाई डाटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
70.	वीएलआर	वर्चुअल लोकेशन रजिस्टर
71.	वीएसएटी	वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल
72.	डब्ल्यूसीडीएमए	वाइडबैंड कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस
73.	डब्ल्यूडीएम	वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग

74.	वाई-फाई	वायरलैस फिडिलिटी
75.	वाई-फाई एपी	वायरलैस एक्सेस प्वाइंट
76.	वाईमैक्स	वर्ल्डवाइड इंटरोपरेबिलिटी फार माइक्रोवेव

[फा. सं. 18-07/2010-आईपी]

मलय श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

Subject: Policy for Preference to domestically manufactured telecom products in procurement due to security considerations and in Government procurement - Notifying Telecom Products for Government Procurement in furtherance of the Policy

No. 18-07/2010-IP.— Department of Information Technology (DIT) has issued a Notification No. 8(78)/2010-IPHW dated 10th February, 2012 for providing preference to domestically manufactured electronic products as a part of procurement process for the electronic products that have security implications for the country, and are to be utilized in Government own use while ensuring that no commercial resale is involved. As per the notification, telecom products which are procured across sectors would be notified by the Department of Telecommunications (DoT).

2. In furtherance of the Policy notified *vide* reference cited above, the Department of Telecommunications has, accordingly, laid down the following policy for providing preference to domestically manufactured telecom products in Government procurement for its own use and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale and the policy shall come into force from the date of its publication in the Gazette of India and shall be in force for a period of ten years thereafter.

3. It is hereby notified that each Ministry or Department will procure minimum percentage of their telecom product requirement fulfilling minimum value addition prescribed against each item. For all the Ministries or Departments (except the Ministry of Defence) of Government and the agencies under their administrative control and for all Government funded telecom projects (e.g. NFS and projects funded by USOF like NOFN etc.), the list of telecom products indicating preferential market access and criteria to qualify as domestically manufactured product year-wise is given in Table-A.

4. The Preferential Market Access (PMA) and Value Addition (VA) indicated against each year are minimum and efforts should be made by domestic manufacturers to achieve higher value addition. The formula for calculation of value addition for telecom products shall also be as notified by Department of Electronics and Information Technology from time to time. All the telecom products which do not meet the minimum value addition criterion for that year shall be treated as imported telecom products and dealt accordingly.

5. Based on the availability of domestic products, the list of products as well as value addition for each product would be reviewed and notified by the Department of Telecommunications on periodic basis.

Table-A

Sl. No.	Telecom equipment Description	Year 2012-13 & 2013-14		Subject to Periodic Review based on new industry inputs/developments)							
				Year 2014-15		Year 2015-16		Year 2016-17		Year 2017-18	
		PMA	VA	PMA	VA	PMA	VA	PMA	VA	PMA	VA
1	Encryption/UTM platforms (TDM and IP)	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
2	Core/Edge/Enterprise routers	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
3	Managed Leased line Network equipment	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
4	Ethernet Switches (L2 and L3), Hubs, etc.	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
5	IP based Soft Switches, Media gateways	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
6	Wireless/Wireline PABXs	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
7	CPE (including WiFi Access points and Routers, Media Converters), 2G/3G Modems, Leased-line Modems, etc.	75	25	100	30	100	35	100	40	100	45
8	Set-Top Boxes	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
9	SDH/Carrier-Ethernet/Packet Optical Transport equipments	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
10	DWDM/CWDM systems	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
11	GPON equipments	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
12	Digital Cross-connects/MUXs	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
13	Small size 2 G/3 G GSM based Base Station Systems	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
14	LTE based broadband wireless access systems (eNodeB, EPC, etc.)	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
15	Wi-Fi based broadband wireless access systems (Access Point, Aggregation Block, Core Block, etc.)	100	35	100	40	100	45	100	50	100	55
16	Microwave Radio systems (IP/Hybrid)	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
17	Software Defined Radio, Cognitive Radio systems	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55
18	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS, and Distributed Antenna system	75	35	100	40	100	45	100	50	100	55
19	Satellite based systems – Hubs, VSAT etc.	50	35	100	40	100	45	100	50	100	55

20	Copper access systems (DSL/DSLAM)	50	35	60	40	70	45	80	50	80	55
21	Network Management systems	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65
22	Security and surveillance communication systems (video and sensors based)	100	35	100	40	100	45	100	50	100	55
23	Optical Fiber Cable	100	45	100	50	100	55	100	60	100	65

PMA= Minimum Preferential Market Access to Domestically Manufactured Telecom Products in indicated financial year

VA= Minimum domestic Value Addition to qualify as Domestically Manufactured Telecom Products in indicated financial year

6. Telecom has emerged as a key driver of economic and social development in an increasingly knowledge intensive global scenario, in which India will play a leadership role. The Government has targeted to increase broadband coverage in the country up to 175 million by 2017 and 600 million by 2020. Additional Spectrum of about 500 MHz is proposed to be made available by 2020. In same way, the mobile subscriber base is targeted to reach 1200 million by 2017. Based on the TRAI report on Manufacturing Policy for Telecom Equipment, the demand of various telecom equipment in India and abroad is estimated as indicated in Table-B below:-

TABLE-B

Sl No.	Year	Global Total Demand (Rs. millions)	Indian Demand (Rs. millions)	% of Global Demand
1.	2012-13	16382550	769400	6.2%
2.	2014-15	19108610	965140	6.6%
3.	2016-17	22288280	1210670	7.1%
4.	2019-20	28076820	1700910	7.9%

The demand of various verticals of telecom equipment in India is estimated and detailed as in TABLE-C, as follows:-

TABLE-C

Wireless Equipment Demand (Rs. millions)		2015-16	2019-20
	Wireless Equipment	264440	444380
i)	2G Wireless	25320	-
	BTS Antenna	10130	-
	BSC	9110	-
	MSC/GMSC/HLR/VLR/EIR	6080	-
ii)	3G Wireless	101280	26450
	Node B	40510	10580
	RNC	36460	9520
	GGSN/SGSN	24310	6350
iii)	LTE/Mobile Wi-MAX/5G	126590	238100
	eNode B	75960	142860
	MME/SGW/PDG/SAE	50640	95240
	FAP	11250	27990
iv)	Mobile Handsets	384020	613100
	Total	**648460**	**1057380**

Wire-line Equipment		2015-16	2019-20
i)	Switches		
	Local	1640	1480
	Transit	1840	1660
ii)	STP	990	900
iii)	IN Platforms	500	450
	Total	**4960**	**4480**

IP & Packet Switching		2015-16	2019-20
i)	Switching		
	LAN Switches	107520	130690
	Ethernet/IP Aggregation	8060	12680
	Carrier Ethernet (Incl. above)	2020	9510
ii)	Routing		
	Edge IP/MPLS Routing	19350	30440
	Core IP/MPLS Routing	4840	7610
iii)	Packet Voice	7130	20890
	Soft switch	2850	8360
	SGW/MGW	2140	6270
	Session Border Controller	1070	3130
	Media/Voice App Servers	1070	3130
	Total	**146890**	**201310**

Broadband Equipment		2015-16	2019-20
i)	FTTX	38810	208700
	ONT/ONU	15520	83480
	OLT	23280	125220
ii)	DLS Broadband	31040	29810
	DSL Modem	15520	14910
	DSLAM	10870	7450
	MSAN	4660	7450
iii)	CMTS	7760	59630
	Total	**77610**	**298150**

Backhaul and Transmission		2015-16	2019-20
1.	Fibre/Optical		
	Optical	58110	79220
	SDH	31880	35880
	DWDM	19730	34880
	POTP(Incl. within SDH,DWDM/DXC	27460	66770
	DXC	3300	3430
	Submarine Systems	3200	5030
2.	Microwave Backhaul	27240	39890
	PDH/SDH/Microwave	1360	800
	Ethernet Microwave	25880	39090
	Total	**78380**	**109600**

7. The procuring agencies shall follow the standard laid down procurement procedures, subject to meeting the requirement related to specified percentage of procurement being made from domestically manufactured telecom products as per this policy.

3797 GI/12-4

(i) aggregation of annual requirements and such other procurement practices, which facilitate the implementation of this policy, may be adopted by procuring agencies.

(ii) adhere the procurement of Telecom products by Government Ministries/ Departments or agencies under their administrative control and in Government Telecom Projects

(iii) wherever the domestically manufactured telecom products are procured under this policy by a Government Ministry or Department or an agency thereof or for telecom products, such procurement shall be subject to matching of L1 price and on satisfying technical specifications of the tender.

(iv) In case of the domestic manufacturer is not lowest bidder (L1), the specified part of the tender would be awarded to the lowest technically qualified domestic manufacturer, subject to matching with L1 price, if such bidder is available. The remaining part will be awarded to L1 bidder.

(v) It is not necessary that each tender for the procurement of telecom product is split between domestic and non-domestic manufacturer. If a tender cannot be split, either because the unit of procurement is small or because of technical reasons, or because no domestic manufacturer is available for the product, the procuring agency may ensure that the annual requirement of procuring the specified extent of telecom products from domestically manufactured products is achieved through suitable enhancements in other tenders.

(vi) The tender conditions would ensure that domestically manufactured telecom products are encouraged and are not subjected to restrictive products specifications are mandatory requirement of prior experience. The procuring agency may also rationally identify and evaluate predatory pricing by any bidder. However, procuring Department or Agency may incorporate such stipulations as may be considered necessary to satisfy themselves of the security, production capability and product quality of the manufacturer.

8. In case of a question whether an item being procured is a telecom product to be covered under the policy, the matter would be referred to the Telecommunications Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications for clarification.

9. The guidelines as notified by the Department of Electronics and Information Technology shall be followed for this purpose. In case of any doubt in respect of Telecom Products, reference shall be made to Telecommunications Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications or technical auditor as accredited by the Telecommunication Engineering Centre, Department of Telecommunications for the purpose.

10. The expressions or abbreviations used in this Notification have been detailed in the list below for easy understanding.

56.	PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
57.	PON	Passive Optical Network
58.	POTP	Packet Optical Transmission Platform
59.	RAN	Radio Access Network
60.	RLC	Radio Link Control
61.	RNC	Radio Network Controller
62.	ROADM	Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer
63.	SDH	Synchronous Digital Hierarchy
64.	SONET	Synchronous Optical Networking
65.	STM	Synchronous Transport Modules
66.	STP	Signal Transfer Point
67.	TDM	Time Division Multiplexing
68.	USOF	Universal Service Obligation Fund
69.	VDSL	Very High Data Rate Digital Subscriber Line
70.	VLR	Virtual Location Register
71.	VSAT	Very Small Aperture Terminal
72.	WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
73.	WDM	Wavelength Division Multiplexing
74.	Wi-Fi	Wireless Fidelity
75.	Wi-Fi AP	Wireless Access Point
76.	WiMAX	Worldwide Interoperability For Microwave

[F. No. 18-07/2010-IP]

MALAY SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

List of Acronyms used in the notification

Sl No.	Acronyms	Expansion
1.	2G	Second Generation
2.	3G	Third Generation
3.	4G	Fourth Generation
4.	5G	Fifth Generation
5.	ADSL	Asymmetrical Digital Subscriber Line
6.	ATMP	Assembly, Testing, Packaging And Marking
7.	BOM	Bill Of Material
8.	BSC	Base Station Controller
9.	BSS	Base Station Subsystem
10.	BTS	Base Transceiver Station
11.	BWA	Broadband Wireless Access
12.	CDMA	Code Division Multiple Access
13.	CN	Core Network
14.	CPE	Customer Premises Equipment
15.	CWDM	Course Wavelength Division Multiplexing
16.	DAS	Distributed Antenna System
17.	DeitY	Department of Electronics and Information Technology
18.	DSL	Digital Subscriber Line
19.	DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
20.	DWDM	Dense Wave Division Multiplexing
21.	DXC	Digital Cross Connect
22.	EIR	Equipment Identity Register
23.	EMS	Electronic Manufacturing Services
24.	EPABX	Electronic Private Automatic Branch Exchange
25.	FTTH	Fiber to the Home
26.	GGSN	Gateway GPRS Support Node
27.	GMSC	Gateway Mobile Switching Centre
28.	GPON	Gigabit Passive Optical Network
29.	GPRS	General Packet Radio Service
30.	GSM	Global Standard For Mobile
31.	HLR	Home Location Register
32.	HSPA	High Speed Packet Access
33.	IMS	IP Multimedia Subsystem
34.	IP	Internet Protocol
35.	LAN	Local Area Network
36.	LTE	Long Term Evolution
37.	MGW	Media Gateway
38.	MME	Mobility Management Entity
39.	MPLS	Multi-Protocol Label Switching
40.	MPLS-TP	MPLS Transport Profile
41.	MSAN	Multi-Service Access Node
42.	MSC	Mobile Switching Centre
43.	MUX	Multiplexer
44.	NGN	Next Generation Network
45.	NG-PON	Next Generation Passive Optical Network
46.	NFS	Network for Spectrum
47.	NOFN	National Optical Fibre Network
48.	OAN	Optical Access Network
49.	ODF	Optical-fiber Distribution Frame
50.	OFC	Optical Fibre Cable
51.	OLT	Optical Line Terminal
52.	ONT	Optical Network Termination
53.	ONU	Optical Network Unit
54.	OTN	Optical Transport Network
55.	PABX	Private Auto Branch Exchange

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934
No. 266] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सं. 18-07/2010-आईपी.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना की मद संख्या (vi) में पृष्ठ संख्या 5 पर यथा प्रकाशित भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 18-07/2010-आईपी में "विशिष्टताओं की पूर्व अनुभव की आज्ञापक" शब्दों की जगह "विशिष्टताओं के पूर्व अनुभव तथा/या आज्ञापक" पढ़ा जाए ।

मलय श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th November, 2012

No. 18-07/2010-IP.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications Number 18-07/2010-IP, dated the 5th October, 2012, as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th October, 2012, at page 12, in item (vi), for the words "specifications are mandatory" read as "specifications and/or mandatory".

MALAY SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

4429 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.